

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

रीडर/2025/10196

दिनांक - 31/12/25

प्रार्थी
वेदाराम पुत्र तगाराम
जाति कुम्हार निवासी
ईश्वरपुरा भादरेश तहसील
व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 दुर्गाराम पुत्र ताराराम निवासी ईश्वरपुरा भादरेश 2
सवाई दान पुत्र मंगलदान जाति चारण 3 हम्मीरा
राम पुत्र पताराम 4 गंगाराम पुत्र गिरधारी जाति
प्रजापत निवासी भादरेश गांधव तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 533/2025 दिनांक-23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भादरेश गांधव पटवार क्षेत्र भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 176/104 रकबा 7.4381 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते
हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति
में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31/12/25

क्रमांक :- रीडर/2025/10197-10100

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भादरेश तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी वेदाराम पुत्र तगाराम जाति कुम्हार निवासी ईश्वरपुरा भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण दुर्गाराम पुत्र ताराराम वगैराह निवासी ईश्वरपुरा भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर